न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :75/2017

1. जयवीर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू, तहसील श्रीकरणपुर।
2. सुखविन्द्र कौर पत्नि सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू, तहसील श्रीकरणपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री दर्शन सिंह, अधिवक्ता — -:प्रार्थी की ओर से:-
2. श्री गुरदेव सिंह,अधिवक्ता — -:अप्रार्थी संख्या 1व 2 की ओर से-
3. राजपैरोकार — -:अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 8/7/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 5 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 12/11 के मु0न0 8 व मु. न. 10 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी के रिश्तेदार है। प्रार्थी जयपुर रहता है। प्रार्थी की माता शरणदीप कौर उक्त भूमि को हिस्सा पर काश्त करवाती है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को रहने के लिए मुरब्बा नं. 10 के किला न. 20 में ढाणी का निर्माण करवाकर दिया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ,द्वारा चक 5 डब्ल्यू के मु. न. 10 के किला न. 20 में बनी ढाणी में प्रार्थी की बिना इजाजत लिये मकान का निर्माण कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि आप बिना इजाजत के मकान का निर्माण कर रहे हो। तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम इस ढाणी में निवास कर रहे है, और यही पर मकान का निर्माण करेगे। आपको जो करना हो कर लो। प्रार्थी ने पंचायत कर अप्रार्थीगण को समझाया फिर भी अप्रार्थीगण नहीं माने। प्रार्थी जयपुर में कारोबार करता है। तथा प्रार्थी की माता अकेली यही रहती है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने इसी बात का फायदा उठाकर प्रार्थी के मु. न. 10 के किला न. 20 में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तथा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अवैध निर्माण कार्य करने में कामयाव हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोकने का हकदार है। अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित करवाने का हकदार है। प्रथम दृष्टया मामला , राईट एंव टाईटल, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्व नाम इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे चक 5 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 12/11 के मु. न. 10 के किला न. 20 नहरी भूमि में किसी प्रकार का कच्चा व पक्का मकान निर्माण करने से निषेध रहै।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थिति आए व जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जवाव प्रार्थना पत्र के अनुसार यह बात सही है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस मे रिश्तेदार है व एक ही खानदान के सदस्य है। अप्रार्थीगण का मु. न. 10 के किला न. 20 में ढाणी में निवास करना स्वीकार है। यह कथन गलत है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मु. न. 10 के किला न 20 में निवास करने के लिए ढाणी का निर्माण करके दिया हो। सही यह है, कि इस ढाणी का निर्माण अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों के द्वारा स्वंय अपने खर्चे पर 20 वर्ष पूर्व किया था। अप्रार्थी सख्या 1 के पूर्वज सन्ता सिंह व उसके पश्चात अप्रार्थीगण इस ढाणी में निवास करते चले आ रहे है। इस ढाणी का विजली का कनेक्शन 1985 में सन्ता सिह ने करवाया था जो सन्ता सिंह पुत्र आशा सिह के नाम से है। इस मु.न 10 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

न. 20 में स्थित विवाद ग्रस्त ढाणी पर अप्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार मालिक बन चुके है। जिन्हे प्रार्थी किसी भी प्रकार से बेदखल करने का अधिकारी नहीं है। कानूनन प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में होना पाया जाता है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र विवादित ढाणी से वेदखल करने के लिए पेश किया है इसलिए वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। जवाब स्टेट पेश नही होने पर जवाब स्टेट बंद किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना में चक 5 डब्लयू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 12/11 के मु.न. 10 के किला न. 20 में किसी भी प्रकार से कच्चा व पक्का निर्माण करने सम्बन्धी अस्थाई निषेधाज्ञा बावत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि इस वादगत ढाणी का निर्माण 50 वर्ष पूर्व इनके पूर्वजो के द्वारा करवाया गया था। और तब से आज तक ढाणी में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। वर्ष 1985 में इस ढाणी में बिजली का कनेक्शन सन्ता सिंह के नाम से लिया गया था जो आज भी सन्ता सिंह के नाम से है। धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, राइट एण्ड टाईटल तथा सुविधा का संतुलन पर विचार किया गया। प्रार्थी उक्त भूमि में रिकॉर्डड खातेदार है। अप्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने के हकदार है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। प्रथम दृष्टया मामला, राइट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 12/11 के मु.न. 10 के किला न. 20 की कुल 0.253 है. नहरी भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली में दिनांक 28.08.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। चूकि अप्रार्थीगण इस किला में बनी ढाणी में पिछले कई वर्षो से निवास कर रहे है। अतः इस आशय की भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को इस ढाणी से बेदखल नहीं किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 8/7/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner